रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022022-233567
CG-DL-E-17022022-233567

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 714] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 2022/माघ 27, 1943
No. 714] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 2022/MAGHA 27, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2022

का.आ. 734 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5499 (अ) तारीख 31.12.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में द्वारका एक्सप्रेसवे (NH-248BB) के कि.मी. 9.9 से कि.मी. 28.6 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौडा करने /छ: लेन का बनाने ,आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 8. 01.2022 को " द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया " और दैनिक जागरण" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और किसी भी भू-स्वामी /हितबद्ध व्यक्ति से कोई आपेक्ष प्राप्त नहीं हुए थे

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अत: अब केंद्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लन्मो में मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी |

अनुसूची

हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में द्वारका एक्सप्रेसवे (248BB) के कि. मी. 9.9 से कि.मी.28.6 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण |

राज्य का नाम: हरियाणा	**जिले का नाम: गुरुग्राम**				
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: गुरुग्राम				
	गांव का नाम: हरसरु				
1	130//22/1/2 Min	निजी	कृषि	0.0015	श्योराज सिंह पुत्र सुरजन सिंह पुत्र सकिशन 1/2 भाग वासीदेह राम सिंह पुत्र हंसा पुत्र सकिशन 1/2 भाग वासीदेह मोहम्मदपुर झाड़सा (130//22/1/2 मिन)
2	130//23/1 Min	निजी	कृषि	0.0194	श्योराज सिंह पुत्र सुरजन सिंह पुत्र सकिशन 1/2 भाग वासीदेह राम सिंह पुत्र हंसा पुत्र सकिशन 1/2 भाग वासीदेह मोहम्मदपुर झाड़सा (130//23/1 मिन)
			कुल	**0.0209**	

[फा. सं. PIU/DGLE08/07/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2022

S.O. 734(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O. 5499 (E) dated 31st December, 2021 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Governement declared its intension to acqire the land specified in

the Schedule given below to the said notification for building (widening/Six laning etc.) maintenance, management and operation of Dwarka Expressway (NH-248BB) on the stretch of land from Km. 9.9 to 28.6 in the district of Gurugram in the State of Haryana.

and whereas the substance of the said notification has been published in "The Times of India" and "Dainik Jagran." both dated-08.01.2022 under sub-section (3) of section 3A of the said act;

And whereas no objection from any landowners/interested persons has been received;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Governement ;

Now, therefore upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Governement hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazetter, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Governement, free from all encumbrance.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-248BB in the stretch of land from Km. 9.9 to 28.6 in the district of Gurugram in the state of Haryana.

State: HARYANA	**District: Gurugram**				
Sr. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Gurugram				
	Village: Harsaru				
1	130//22/1/2 Min	Private	Agriculture	0.0015	Shyoraj Singh S/o Surjan Singh S/o Sakishan ½ Share Vasideh, Ram Singh S/o Hansa S/o Sakishan ½ share Vasi Mohammadpur Jhadsa 130//22/1/2 Min
2	130//23/1 Min	Private	Agriculture	0.0194	Shyoraj Singh S/o Surjan Singh S/o Sakishan ½ Share Vasideh, Ram Singh S/o Hansa S/o Sakishan ½ share Vasi Mohammadpur Jhadsa 130//23/1 Min
			TOTAL	**0.0209**	

[F. No. PIU/DGLE08/07/3D]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.02.17 22:00:14 +05'30'